भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1404

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

प्रशासनिक मतभेद

†1404. डॉ0 ए. सम्पतः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच प्रशासनिक मतभेदों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इसी प्रकार की समस्याओं का सामना संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी के मामले में भी किया जा रहा है क्योंकि इसका दर्जा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरह है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): दिल्ली पुलिस, अनुच्छेद 239(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भूमिका और कार्यसंविधि में स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। यदि मतांतर की स्थिति होती है, जिसमें गृह मंत्रालय का हस्तक्षेप अपेक्षित होता है, तब उससे विधि के अनुसार निपटा जाता है।

(ग): गृह मंत्रालय के ध्यान में पु दुचेरी पुलिस और पुदुचेरी सरकार के बीच कोई समस्या लाई नहीं गई है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता है।